DEV) : (a) *Postal :*

Under Annual Plan 1987-88, no new post offices were found justified in Andhra Pradesh Circle as per the prescribed norms. As regards 1988-89, a fresh review is to be carried out. This exercise will be taken up when fresh guidelines which are under consideration now, are finalized.

(a) *Telecom* :

The target fixed for Telecommunications, Andhra Pradesh Circle for the year 1987-88 in respect of Telephone Exchanges and Telgraph offices are 75 and 12 respectively. The target for year 1988-89 shall be set up later.

(b) and (c): *Postal:*

For 1984-85 and 1985-86, no targets as sucr were laid down in view of the ban on creation of posts. However, on special grounds, 3 new Post Offices were opened in Andhra Pradesh Circle. These were at (i) Tirumala bus station (ii) Yethu Mailaram Ordnace Factoy in Sanga Reddy district and (iii) a tribal village called Kotha Rediam: in Warangal district.

(b) *Telecom:*

Yes Sir, in respect of Telephone exchanges only.

(c) The targets and achievements are as under:

Year 1984-86 Target		Achievement
Telephone Exch.	100	107
Telegraph Offices	54	54
Year 1985-86		
Telephone Exch.	80	94
Telegraph Offices	24	20

(d) Postal:

Does not arise in view of reply to (b) and (c).

(d) *Telecom :*

The reasons for not achieving the target in respect of Telegraph Offices for year 1985-86 will be intimated early.

कपड़वंज और मोडासा के बीच रेल लाइन

466. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नाडियाड-मोडासा-कपड़वंज एक सूखा ग्रस्त क्षेत्र है, क्या सरकार नाडियाड, मोडासा कपड़वंज रेल परियोजना के अन्तर्गत कपड़वंज और मोडासा के बीच शेष 25 किलोमीटर के क्षेत्र में राहतकार्य योजना के अन्तर्गत आरंभिक कार्य शुरू किये जाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अहमदाबाद और दिल्ली के बीच रेल गाड़ियां

467. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कितनी और किस प्रकार की यात्री गाड़ियां चलती हैं तथा यातायात कितना है ;

(ख) सर्वोदय एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने के संबंध में योजना क्या है तथा क्या आश्रम एक्सप्रेस में अन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जाने की संभावना है और यदि हां, तो कब तक, और

(ग) क्या आश्रम एक्सप्रेस में भोजन यान और वातानुकूलित डिब्बा जोड़े जायेंगे और यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) अहमदाबाद और दिल्ली के बीच 4 जोड़ी मीटर लाइन की और एक जोड़ी बड़ी लाइन की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां चलती हैं । इनमें से

एक जोड़ी मीटर लाइन पर तथा एक जोड़ी बड़ी लाइन पर सुफरफास्ट गाड़ियां हैं । अहमदाबाद और दिल्ली के बीच यातायात की मात्रा के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग) मार्गवर्ती खंडों पर लाइन क्षमता की तंगियों के कारण सर्वोदय एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि करना *व्यावहारिक नहीं पाया गया है* । चालू वर्ष के दौरान आश्रम एक्सप्रेस में एक वातानुकूलित शयनयान की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । बहरहाल, इस गाड़ी में फिलहाल भोजनयान, पैंट्रीकार लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जलमार्गों का विकास

468. **श्री मीर्जा इर्शादबग** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल-मार्गों के माध्यम से परिवहन सुविधाओं के विकास संबंधी समिति गठित की गई थी, यदि हां, तो इसके सुझाव क्या थे और किन-किन जल-मार्गों को विकसित किये जाने की सिफारिश की गई थी, सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है और यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ;

(ख) गुजरात के उन जल-मार्गों के नाम क्या हैं जो विकसित किये जा सकते हैं ;

(ग) क्या इस मामले में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो इस संबंध में रिपोर्ट क्या है ; और

(घ) गुजरात सरकार ने इस मामले में क्या मांगें रखी हैं और उन पर क्या निर्णय लिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) अन्तर्देशीय जल परिवहन में आने वाली समस्याओं की जांच करने और इसके विकास के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम सुझाने के लिये 1970 में अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति (भगवती समिति) गठित की गई थी । बाद में, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (1980) ने भी मामले की जांच की थी । इन समितियों ने 10 महत्वपूर्ण जलमार्गों का पता लगाया था, अर्थात, (i) गंगा-भगीरथी-हुगली नदी प्रणाली (ii) ब्रह्मपुत्र, (iii) मांडोवी, जुआरी और कम्बारजुआ नहर (iv) महानदी, (v) गोदावरी, (vi) नर्मदा, (vii) ताप्ती, (viii) सुन्दरबन, (ix) कृष्णा और (x) पश्चिमी तटीय नहर जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किये जाने के लिये विचार किया जा सकता है । राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने राष्ट्रीय जल मार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंध के लिये भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई० डब्ल्यू० ए० आई०) के गठन की भी सिफारिश की थी । इन सिफारिशों के अनुसरण में शुरू में गंगा-भगीरथी-हुगली नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है । राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिये तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास से संबंधित मामलों पर केन्द्र राज्य सरकारों को सलाह देने के लिये संसद के एक अधिनियम के तहत 27-10-86 से भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण का भी गठन कर दिया गया है ।

(ख) से (घ) नर्मदा और ताप्ती को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये जाने के लिये राज्य सरकार ने अनुरोध किया है । नर्मदा और नर्मदा मुख्य नहर पर नौचालन के लिये पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन और तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन चरण पूरा कर लिया गया है । दुर्गम खंडों से नदी सेवायें शुरू करने के लिये किये जाने वाले उपायों का पता लगाने और वित्तीय तथा आर्थिक विश्लेषण करने के लिये व्यवहार्यता अध्ययन के चरण II और III इसके शेष चरण हैं । ताप्ती के संबंध में कम कार्गो की संभावना और राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किये जाने के विचारार्थ अभिनिर्धारित अन्य जलमार्गों की तुलना में कठिन नौचालन को देखते हुये अपेक्षित अध्ययनों की परवर्ती चरण में परिकल्पना की गई है ।